



10 सितम्बर 1978 को उ०प्र० के मैनपुरी जनपद में जन्मे तथा सामाजिक सुधार, सौहार्द एवं सदभाव के प्रति विशेष रुचि एवं समसामयिक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के प्रति सजग दृष्टि रखने वाले डॉ. शाक्य ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा से सम्बद्ध नेशनल पी.जी. कालेज भोगाँव, मैनपुरी से वर्ष 1999 में एम.ए. (अर्थशास्त्र) तत्पश्चात् वर्ष 2002 में अर्थशास्त्र विषय में पी-एच.डी. की उपाधि ग्रहण की।

डॉ. उमेश कुमार शावय संप्रति— महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली से सम्बद्ध प्रेमिकशन खन्ना राजकीय महाविद्यालय जलालाबाद, शाहजहाँपुर, उ०प्र० में अर्थशास्त्र विभाग में सहायक प्राध्यापक पद पर कार्यरत हैं। आप विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भागीदारी एवं आयोजन में संलिप्त रहे हैं तथा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स एवं पत्र—पत्रिकाओं में शोध पत्र एवं लेखों के प्रकाशन के द्वारा आपने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है।

संपर्क- 9368101501

E-mail-drukshakya@gmail.com

## बुक पब्लिकेशन


प्रकाशक एवं वितरक

106 विराम खण्ड 3, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उ०प्र०)

मो०: 09506666655,09935007103

E-mail:bookpublicationss@gmail.com





## उच्च शिक्षा : विद्या विधान और संस्थान (फर्रुखाबाद के शिक्षण संस्थानों का वर्तमान स्वरूप

डॉ.नीतू सिंह तोमर, पी०डी०एफ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,बहादुरशाहजफर मार्ग,नई-दिल्ली-1100

शिक्षा की पूर्ति हेतु शिक्षण एवं प्रशिक्षण के साधन, पाठ्यक्रम, प्रबंधन, 🕼 के लिए जो मानक एवं विधान निर्धारित हैं उनकी उपेक्षा से देश-समाज। अच्छे-बुरे प्रभावों के आंकलन की आवश्यकता महसूस करते हुए मैंने शिक्षा जग की शिक्षण संस्थानों की शैक्षिक, प्रबंधकीय तथा मानकीय व्यवस्था के प्रदर्शि वर्तमान स्वरूपों पर विद्यालयों का अवलोकन आवश्यक समझा है। इसी आप पर मैंने उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडल के फर्रुखाबाद जनपद में संचालित जि एवं विधि तथा बी.एड. कालेजों जिनमें वित्त पोषित, स्ववित्तपोषी एवं राजकी कालेज शामिल है, का निरीक्षण-अवलोकन किया तथा शिक्षण संस्थाओं प्रबंधतंत्रों, प्राचार्यों, प्राध्यापकों, छात्र-छात्राओ, अभिभावकों, शिक्षाधिकारियों । जनता से बातचीत की तथा औपचारिक-अनीपचारिक माध्यम से शिक्षण संस्था से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर तथ्य संकलित किए। शिक्षा अधिनिय ट्रस्ट-सोसाइटी अधिनियम, यूनीवर्सिटी एक्ट, सरकारी आदेश- संग्रहों, कर्मचा आचरण संहिताओं एवं कालेज व्यवस्थाओं का अध्ययन एवं अवलोकन से प्रा जानकारी के आंकडों पर विचार करके मैंने यह जानने का प्रयास किया कि व कालेजों के भवन-कक्ष, प्रबंध समितियों के पदाधिकारी-सदस्य एवं उनग गतिविधियाँ, पाठ्यक्रम, शिक्षक, कर्मचारी, वेतन-भत्ते, शिक्षण, प्रशिक्ष प्रयोगिककार्य, शिक्षक-छात्र उपस्थित, परीक्षा, निरीक्षण, व्यवस्थाएँ आदि मान युक्त हैं या नहीं।

जनगणना—2011 के अनुसार, भारत की जनसंख्या 12101934। जिसमें 623724248 पुरूष, 586469174 स्त्रियाँ एवं कुल साक्षरता 74.04: जिस 82.14: पुरूष, 65.46: स्त्रियाँ, लिंगानुपात 1000:940 हैं। शिक्षापूर्ति के लिए देश विद्यालयों की संख्या—प्राथमिक— 756950, उच्च प्राथमिक—300008, हाईस्क एवं इण्टर—165087, केन्द्रीय विद्यालय—981, नवोदय विद्यालय—57 महाविद्यालय—11458, महिला महाविद्यालय—2260, व्यवसायिक डिग्री कालेज 7024, विश्वविद्यालय—371, राज्य विश्वविद्यालय—268, केन्द्रीय विश्वविद्यालय 40, तकनीकी—इर्जीनियरिंग—2388, एम.सी.ए.—1137 विद्यालय हैं। शोधस्तर ए शिक्षक अनुसंघान एवं प्रशिक्षण परिषद एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग—19 तथा पत्राचार स्तर पर राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय—1989 और इदिरागी

ाषीय मुक्त विश्वविद्यालय इंग्नू 1985 संचालित हो रहा हैं। 15 से 35 वर्ष की जा। वर्ग के लोगों के लिए निरक्षरता समाप्त हेतु केन्द्र, राज्य सरकारों और समाज जातीयों द्वारा विभिन्न प्रकृति के साक्षरता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रौढ़ और

नात शिक्षा के लिए विस्तृत कार्यक्रम एवं साधन अपनाए जा रहे हैं।

शिक्षा की उपयोगिता एवं आवश्यकता की पूर्ति हेतु छात्र—छात्राओं को अग्यन के लिए मानकपूर्ण विद्यालय, पाठ्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, प्रयोगशाला गोग्य शिक्षक, स्वास्थ्य जीवन के लिए प्रदूषण मुक्त भोजन, औषि, सुरक्षा के लिए बंड बुनियादी जरूरतें है। हमारा लोकतांत्रिक गोगान जन—सामान्य के संरक्षण एवं उसकी आवश्यकता की पूर्ति व्यवस्था हेतु गंकल्पित है। हमारी सरकारें—कार्यपालिका, विधायका और न्यायपालिका गांगी यथाशक्ति से देश की जनसमस्याओं का समाधान कराने में अपने दायित्वों गिर्वाहन कर रहीं हैं परन्तु स्वार्थी—अराजक लोग सरकारी व्यवस्था में घुसपैठ गोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर अराजकता कर रहे हैं। पर्यावरण सहित गोज की अधिकांश वस्तुएँ बुरी तरह विशाक्त तथा प्रदूषित की जा रही हैं। जीवन गोजनियादी शिक्षा शिक्षक—विहीन, प्रयोगशाला—विहीन, शिक्षण—विहीन, गानयक्त और उद्देश्यहीन हो गई है।

शिक्षा का उद्देश्य—बालक में व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तथा उसमें आगाजिक कुशलता के गुणों का विकास करना होता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आगा के विभिन्न पक्ष—अर्थ, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, अनुशासन, परीक्षा आग, शिक्षक, बालक और स्कूल—कालेज हैं जिसकी आधुनिक धारणाएँ क्रमशः जिलास, व्यक्तित्व का विकास एवं सामाजिक कुशलता, बाल के प्रति क्रिया ज्ञान—सामाजिक अध्ययन, खेल और योजना, आत्म अनुशासन, वस्तुनिष्ठा, गातिपन्न, वर्धन के लिए, लिखित विवरण, अनौपचारिक, निज—दार्शनिक—

न्यप्रदर्शन, सक्रिय और सामाजिक लघुरूप है।

प्रत्येक समाज अपनी मान्यताओं एवं आवश्यकताओं के अनुकूल ही अपनी प्राा व्यवस्था करता है। किसी समाज की मान्यता एवं आवश्यकता उसकी ज्ञाजिक संरचना तथा भौगोलिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ज्ञार्यकताओं को बदलते है। समाज में होने वाले परितर्वन भी उसके स्वरूप एवं ज्ञार्यकताओं को बदलते है। इसके अनुसार उनकी शिक्षा का स्वरूप बदलता । ग्रामाज की संरचना एवं भौगोलिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक स्थितियां एवं ज्ञार्थित, सामाजिक परिवर्तन से शिक्षा का स्वरूप बदलता रहता है। भौगोलिक परिवर्तन होते हैं। जिस समाज में जैसी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। ही उस समाज की संरचना होने लगती है। सामाजिक परिवर्तन लाने में ज्ञारा आधारमृत भूमिका अदा करती है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के अनुसार, सरकार जनता को शिक्षा (बि.) अधिकारों की रक्षा करेगी। शिक्षा आयोग–1964–66 से 1986 तक सकल (ब.) याय का 6% शिक्षा पर व्यय करने की सिफारिश की थी किन्तु 1985–86 में विकास दर 9% ही रही। ऐसी खराब अर्थिक स्थिति के कारण सरकार शिक्षा प केवल 3% ही व्यय कर सकी और शिक्षा की प्राथिमिकता सूची से काफी नीच अ गई तथा सरकार शिक्षा पर अधिक व्यय करने की स्थिति में नहीं रही जिसा शिक्षा का निजीकरण जरूरी समझा जा रहा है।

शिक्षा का निजीकरण या निजी स्वामित्व का मात्रात्मक प्रदर्शित करती है। इसका स्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं को निजी क्षेत्र में साँपका सरकारी अधिकार को कम करना है। अर्थ व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में निजीकरण के प्रभाव महसूस किए जा रहे हैं इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण के आवश्यकता महसूस की जा रही है। शिक्षा के सम्बन्ध में प्राचीनकाल से वर्तमा तक प्रचलित दो घरणाएँ 1 राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य नियंत्रित शिक्षा, 2 व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से राज्य नियंत्रण से परे शिक्ष प्रबंध और संचालन प्रमुख रही है। आधुनिक काल में प्रथम धारणा किसी न किस रूप में समाजबादी विचार धारा व द्वितीय धारणा स्वतंत्र अर्थव्यवस्था से जुड़ी है।

सोसाइटी अधिनियम—1860 की घारा 24 के प्रावधानों के अनुसार सोसाइटी शिक्षा की आवश्यकता एवं पूर्ति के उद्देश्य से निर्मित होती है। सोसाइटी के लिए स्थानीय कार्यालय, सदस्यता, शुल्क, चुनाव, बैठक, अधिवेशन, योगवान सदस्य योग्यता, अवैतनिक समाजसेवा, सोसाइटी चल—अचल सम्पत्ति की सुरक्ष का सार्वजनिक उत्तरदायित्व आवश्यक है। पंजीकृत सोसाइटी के माध्यम शिक्षण संस्थान संचालित किए जा सकते हैं। सोसाइटी के मामले सोसाइटी कर्रिक्षण संस्थान संचालित किए जा सकते हैं। सोसाइटी के मामले सोसाइटी कर्रिक्षण संस्थान करवा कर देखता जहाँ सोसाइटी के उद्देश्य विफल हो रहा हो, सोसाइटी अपने मामलो कुप्रबंधन की दोषी हो, सोसाइटी ने छन्द सम्बन्धी या किसी अन्य बाध्यताओं करलंधन किया हो।

शिक्षा सोसाइटी का पंजीकृत कार्यालय होगा जिसका अपना भव होगा। सोसाइटी लक्ष्यों एवं उद्देश्यों में विश्वास रखने वाला कोई भी वयव भारतीय नागरिक, राजनैतिक दलहीन,गैरकानूनी संस्था से पृथक, अहिंगा समाजसेवक, अनुशासित,निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करने के साथ निर्धाशि शुल्क जमा कर्ता समिति का सदस्य हो सकता है। समिति की सदस्यता अधिकाधिक वर्ष मार्च से फरवरी तक होगा।

सोसाइटी के कार्य या लक्ष्य एवं उद्देश्य भारत के महापुरुषों सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अध्यात्मिक कृतियों के एकत्रीकरण, प्रकाशन अ शोध सहायता करना, सोसाइटी में शिक्षा के प्रचार एवं विस्तार के लिए प्रयाक्रिया, सदस्यों के स्वास्थ्य के प्रति तथा संस्था एवं राष्ट्रीय चरित्र निर्माण समय—समय पर खेलकूद, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक एवं अध्याति विषयों पर विचार—गोष्ठी का आयोजन करना, सदस्यों में सहकारिता सहभागिता की भावना निर्मित करना, सोसाइटी की सामाजिक—आर्थिक समस्याओं पर अध्ययन, शोधकार्य करना, पर्यावरण संरक्षण तथा परिस्थिति विकास के लिए प्रयास करना, राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता तथा सदमावन

को बढ़ावा देना, सामाजिक अभिशापाँ— दहेज, छुआछूत, नशा, हिंसा, अशिक्षा ग्रामान करने हेतु जनमत तैयार करना। सोसाइटी की समस्त आय प्राप्तियाँ, ग्रास—अचल सम्पत्तियों का उपयोग सोसाइटी के ज्ञापन में प्रदत्त लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा और किसी भी सदस्यों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का लाम, बोनस या लामांश के रूप में नहीं दिया जाएगा। सोसाइटी किसी भी चल—अचल सम्पत्ति पर किसी भी सदस्य का व्यक्तिगत अधिकार गरी होगा तथा कोई भी सदस्य उससे किसी प्रकार का लाम अर्जित नहीं करेगा। गोसाइटी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियाँ गाम नहीं लेगी।

सोसाइटी और विद्यालय-शिक्षा संस्थानो द्वारा संचालित कालेज या गर्थानों के मामले का प्रबंधन सोसाइटी का संचालन शासकीय निकाय द्वारा किया जाता है। यदि सोसाइटी द्वारा कालेज या संस्थान का संचालन किया जाता है। यदि सोसाइटी द्वारा कालेज या संस्थान का संचालन किया जाता है। तो उसके मामलों के लिए शासकीय निकाय या प्रबंध समिति का गठन होगा। गण्य शिक्षा एवं विश्वविद्यालय अधिनियम यह अपेक्षा करते है कि कालेज के गामलों के प्रबंध के लिए एक समिति का गठन होना चाहिए। यदि सोसाइटी द्वारा एक से अधिक कालेजों की स्थापना की जाती है और संचालन किया जाता है तो अधिक कालेज के लिए एक प्रबंध समिति का गठन किया जाना चाहिए। लेकिन जहां सोसाइटी द्वारा एक ही कालेज का संचालन किया जाता है, वहाँ सोसाइटी गाय दो प्रबंध समितियों का गठन किया जाना चाहिए, एक कालेज में मामलों के अधि के लिए एवं दूसरा सोसाइटी के मामलों के प्रबंध के लिए। गासाइटी-कालेज के लिए दोनों प्रबंध समितियों की पदावधि मिन्न-मिन्न होती है जिला यदि दो अधिनियमों के अधीन गठित दो प्रबंध समितियों एक ही हैं, तो कालेज की प्रबंध समिति की अवधि के साथ सोसाइटी के लिए गठित प्रबंध गमिति की अवधि का भी समापन हो जाता है।

शिक्षा अधिनियमों के अन्तर्गत कोई भी पंजीकृत सोसाइटी द्वारा जियालय संचालित किए जा सकते हैं। शिक्षा योर्ड व विश्वविद्यालय अधिनियम के जियानों के अनुरूप कोई भी पंजीकृत सोसाइटी अपने क्षेत्र के सदस्य-व्यक्तियों जो बोर्ड-विश्वविद्यालय की परीक्षा की तैयारी हेतु विद्यालय संचालित कर सकती जिसके लिए सोसाइटी के सामान्य सदस्यों की खुली बैठक में प्रस्ताव एवं प्रवाद द्वारा विद्यालय प्रबंध कार्यकारिणी समिति का गठन होगा जिसके आधार विद्यालय संचालन की प्रशासन योजना निर्मित हो सकेगी और शिक्षा विभाग विद्यालय संचालन की प्रशासन योजना निर्मित हो सकेगी और शिक्षा विभाग विद्यालय संचालन की प्रशासन योजना निर्मित हो कोई भी सोसाइटी

कालेज-विद्यालय प्रबंध समिति में पर्देन सदस्य सहित कुल 15 सदस्य ॥ गकते है। 3 पर्देन सदस्यों के अतिरिक्त 12 सदस्यों का चयन सभी कोटि के ॥ गयों को सम्मिलित कर साधारण सभा द्वारा बहुमत के आधार पर किया ॥ गा। समिति में किसी जाति धर्म व समुदाय का एकाधिकार नहीं होगा तथा ॥ शी आजीवन सदस्य-पदाधिकारी नहीं होगा। पदाधिकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सचिव—प्रबंधक, उप—प्रबंधक, कोषाधिकारी होगें। विद्यालय समिति का कोई भी सदस्य एक—दूसरे के परिजन—संबंधी—हितबद्ध नहीं होगा और न ही शिक्षा संशोधित अधिनयमों के अंतर्गत संचालित किसी मान्यता प्राप्त संस्था का कर्मचारी, शिक्षक या कालेज प्रबंध समिति का पदाधिकारी हो सकेगा। प्रत्येक दशा में प्रबंध समिति का कार्यकाल पूरे होने के 1 माह पूर्व नयी प्रबंध समिति का गठन करना होगा। साधारण सभा के सभापति प्रबंध समिति को अनुरोध पत्रों को संलग्न करते हुए शिक्षा निदेशक / कुलसचिव / जिला विद्यालय निरीक्षक से चुनाव हेतु पर्यवेक्षक की मांग कर सकेगा। वर्ष में कम से कम 2 बार साधारण सभा की बैठक आवश्यक होगी एवं सभी सदस्य अवैतनिक होंगे। सोसाइटी अपनी ब सदस्यों की आय के स्रोतों से कालेज को निःस्वार्थ धन उपलब्ध करायेंगे तथा सोसाइटी—विद्यालय की धन सम्पत्ति पर किसी भी सदस्य का व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होगा और न ही कोई सदस्य—पदाधिकारी विद्यालय से कोई भत्ता प्राप्त कर सकेगा।

उ0 प्र0 के कानपुर मण्डल के जनपद-फर्रुखाबाद में संचालित महाविद्यालयों का वर्तमान स्वरूपः छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से सम्बद्ध सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की अधिकतर प्रबंध समितियों कें पदाधिकारी व सदस्य जनपद वे स्थानीय समुदायों के सामान्य जनता, जन-साधारण, शिक्षाविद, समाजसेवी, स्थानीय, अभिभावक सामान्यजन नहीं हैं और न ही निर्धारित प्रशासन योजना के मानक अनुरूप है तथा शैक्षिक मानक प्रतिकूल प्रबंधतंत्रों के पदाधिकारी-अध्यक्ष -सचिव-सदस्य आपसी परिजन, भाई-बहिन, पुत्र-पुत्री, पिता-माता, पति-पत्नी, बहु, भतीजे, साले-बहनोई, स्वजातीय, नौकर, मित्र, किराएदार, साझेदार गैर-जनपदीय आपसी हितबद्ध हैं। एडिड एव स्ववित्तपोषी कालेजों के लोग अपने निजी लाभ के लिए व्यापार की भाँति सार्वजनिक शिक्षा को दूषित कर एव सोसाइटी एक्ट-1856, उ.प्र.विश्वविद्यालय एक्ट-1973, शिक्षा अधिनियमों वी उपेक्षा कर स्वःलाभ हेतु अपने परिजनो, चाचा-भतीजे, भाई-बहिन, पुत्र-पुत्री पिता-माता, पति-पत्नी, बहू, भतीजे, साले-बहनोई, नौकर, मित्र, स्वःजातीय साझेदार आपसी हितबद्वों को प्रबंधतंत्रों का सदस्य-पदाधिकारी बनाकर एव प्राचार्य, प्राध्यापकों, कर्मचारियों के पदों पर पदासीन कर तथा कालेजों में शिक्षण कार्य कराए बिना छात्र–छात्राओं को मनचाही डिग्री का लालच देकर अवैध वराती व धन उगाही कर व्यक्तिगत लाभ कमाने में जुटे है तथा शिक्षा को दूषित कर रा हैं। स्ववित्तपोषी कालेज 'नकल–ठेकों' एवं डिग्री बिक्री के आधार पर संचालित है रहे हैं। इनकी शिक्षा, प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षण, कर्मचारी, लेब्स, प्रक्टीकला लाइब्रेरीज मानक विहीन है एवं छात्र-छात्राओं एवं बेरोजगारों से मनमाना धन वसूलने के बावजूद शिक्षण नहीं होता है। स्ववित्तपोषी कालेजों की मान्यता संबंधी पत्रावलियों में औपचारिकता वश जो प्राचार्य, शिक्षक, कर्मचारियो की नियुक्त होती हैं उनमे अधिकांश लोग प्राइमरी-इंटर कालेजों के वेतनभोगी एवं अन दूर-दराज क्षेत्र-प्रदेशों में सरकारी नौकरी करने वाले या वेतन-पेंशन भोगी ग

गानिवृत्ति लोगों कों दिखाया गया है जो अपने प्रमाण-पत्रों को गान्यता-अनुमोदन हेतु किराए पर देकर शिक्षक-प्राचार्य पद पर कार्यरत दिखाने हैं। रू.20,000 से 25000 वार्षिक देकर उनकी कालेज उपस्थित मुक्त होती है। जिसके कारण पात्र रोजगार से वंचित हो रहे हैं। स्विवत्तपोषी कालेज प्रबंधतंत्रों के लोग अहं शिक्षक को मानकीय वेतन-भत्ते नहीं देते हैं। कालेज प्रबंधतंत्रों के दवंग गांग अहं शिक्षकों को वेतन-भत्ते देने की कागजी खानापूर्ति तो करते है परन्तु गानकयुक्त वेतन-भत्ते नहीं देते हैं। सरकारी-अनुदान प्राप्त शिक्षक प्रश्नवाजी' में संलिप्त रहकर संगीन अपराध कर रहे हैं। शैक्षिक उद्देश्य की पति की जगह परिजनों, सगे-संबंधीं आपसी हितबद्धों के स्वलाभ उद्देश्यों से गानक विरुद्ध निर्मित सोसाइटियाँ एवं उनकी प्रबंध समितियों की संबद्धताएं गणतया अवैध है तथा अशासकीय मान्यता प्राप्त कालेजों के संचालन की जरूरी प्रशासन योजना आदेश जी.ओ.संख्या-643(1) दि.15.8.11 एवं अधिनियम १९२१ । शिक्षक-संस्थानों द्वारा अभी तक उपेक्षित है।

शिक्षा बोर्ड, उच्चशिक्षा, टेक्नीकल एव चिकित्सीय, विधि कालेज तथा शिक्षक प्रशिक्षण में शिक्षा-माफियाओं द्वारा प्रबंधन के नाम पर फर्जीबाड़ा किया जा रहा है और कागजी खानापूर्ति कर शिक्षा के उद्देश्यों को समाप्त कर खलाम माया जा रहा है तथा मानक विहीन सोसाइटियाँ धन के प्रभाव में विद्यालय पंचालन की मान्यता प्राप्त कर विद्यालयों में खुलेआम अवैध वसूली व आर्थिक अनियमिततायें कर भावी पीढी का भविष्य बर्वाद कर रहीं है। महाविद्यालयों के प्रविधतंत्रों के सदस्यों एवं शिक्षण व्यवस्था के अध्ययन, अवलोकन, सम्पर्क एवं पतिदर्श के आधार पर प्राप्त तथ्यों एवं विचार करने से ज्ञात होता है कि, उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडल के जनपद फर्रुखाबाद में संचालित वित्तीय सहायता प्राप्त ण स्ववित्तपोषी शिक्षण संस्थानों के प्रबंधक कालेज सम्बद्धता-मान्यता पत्रावली 🛮 फर्जी, अवैध, अमानक भ्रामक तथ्यों—प्रपत्रों एवं शपथ—पत्रों को जोड़—तोड़ कर भीर स्वयं मनमाने ढंग से प्रमाणित कर शामिल कर फर्जीबाड़ा कर रहे हैं तथा णिक्षाविभाग एवं विश्वविद्यालय के लोगो से सांठगांठ एवं धन-लालच के प्रभाव से गनवाही बैठकें जांच-साक्षात्कार-नियुक्ति-जांच के फर्जी प्रपत्र बनाकर विश्वविद्यालय-बोर्ड की पत्रावलियों में शामिल करा रहे हैं जिसके माध्यम से णिया के विकास की सरकारी योजनाओं की निधियों के घन को हड़प कर कालेज गींग, भवन, चरागाहों पर जबरदस्त कब्जा कर प्रबंधतंत्रों के लोगों व उनके परिवारीजनों द्वारा शिक्षा—छात्र—बेरोजगार—समाज का हित बुरी तरह से प्रभावित िया जा रहा है।

'जनसामान्य' के लिए बनी राष्ट्रीय विकास की योजनाओं एवं उनके जियान्वयन के अवलोकन—निरीक्षण के परिणाम स्वरूप कहा जा सकता है कि जिक्तांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत सामान्य जन के लिए बनी राष्ट्रीय विकास की जिजाएं एवं साधन स्वार्थी, विध्वंशक, नाशक, धनी, ठगों और संगठित अपराधियों जी सुख—सुविधाओं तथा आय के साधन बन गए हैं। इस संबंध में निरीक्षण तथ्य यह बताते हैं कि दरिद्र, असहाय, निरीह, पीड़ित, दुःखी, वृद्ध, बीमारी ग्रसित लोगें की पुकार सुनने वाला कोई नहीं हैं और यदि कोई ऐसे लोगों की सहायता करने की चेष्टा भी करता है तो संगठित अपराधी उसे समूल नष्ट करने में कोई कस बाकी नहीं रखते हैं।

मानक विहीन शिक्षा ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है। शिक्षक शिक्षण, प्रक्टीकल्स, पुस्तकालय, प्राचार्य और कर्मचारियों का अभाव एव अमानकता से शिक्षा व उसके उद्देश्य नष्ट हो रहे हैं। नकल, ट्यूशन, विन पाठन डिग्री-उपाधि वितरण व्यवसायों से शिक्षा प्रदूषित हो रही है। शिक्षण संस्थाओं में दिखावा ज्यादा होता है तथा विद्यार्थी एवं अभिभावकों का आर्थिक शोषण होता है। शिक्षण संस्थाओं का संचालन भारी वित्तीय लाभ अनियमितताओं का व्यवसाय बन गया है। अतः ऐसी प्रवृत्ति पर नियंत्रण अति आवश्यक है। शिक्षा नवीन प्रवृत्तियों सहित व्यवसाय की ओर उन्मुख हो, शिक्षा व गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए, राज्य और शिक्षा के निजीकरण पर नियंत्र आवश्यक हो। ट्रस्ट, सोसाइटी, वाणिज्य, सरकारी-आदेश एव शैक्षिक व्यवस्था वैधानिक प्रवधानों का अनुपालन होना चाहिए। प्रबंधतंत्र में अभिभावकों, शिक्षावि समाजसेवी, स्थानीय, साधारण-जनता को ही सदस्य पदाधिकारी बनाया ज चाहिए। प्रवंधतंत्र में परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद, राजनैतिक, सरकारी ल को पदाधिकारी नहीं बनाया जाना चाहिए। प्रबंधतंत्र का शैक्षिक हस्तक्षेप कालेज संम्पति का दुरूपयोग वंद होना चाहिए। शैक्षिक संस्थानों में मानकपूर्ण शिक्षक, शिक्षण, वेतन भूगतान, नकल विहीन परीक्षा होनी चा प्रवंघतंत्र को चन्दे, दान, अनुदान, आय, शुल्क धन सरकारी कोषागार में होना चाहिए। शिक्षक-कर्मचारियों को वेतन-भत्ते का भुगतान कोषागार च वितरित होना चाहिए। कालेज आडिट नियमित व जबाबदेह होना चाहिए। ट एवं नकल तथा अवैध वसूली तत्काल बंद होनी चाहिए। मान्यता, पाठकम् 🗎 कर्मचारी,, प्रबंधतंत्र, वजटे विवरण सार्वजनिक होना चाहिए। जिला प्रशास जबाबदेही होनी चाहिए। जनसाधारण के हितों के संरक्षण एवं सुरक्षा हेत् मानक एवं प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक है।

संदर्भ सूची

 डॉ,देवाशीमुकर्जी, पर्यटन उद्योग के विकास की संभावनाएं, आईआरजेएमएसएस प्रकाशन, दिल्ली, 2015 पेज-118

डॉ.एम.के.मितल, साधना प्रकाशन, रस्तोगी स्ट्रीट, सुभाय बाजार, मेरठ-250002, पेंड-

 आर्थिक समीक्षा 2014-15, यंग ग्लोबल पब्लिकेशन, टोलस्टोय मई-दिल्ली-110092, पेज-34,

4. वहीं, पेज-34

 रमेश सिंह, भारतीय अर्थव्यवस्था, एमसीग्रेहिल एजूकेशन पब्लिकेशन, ग्रीनपार्क, दिल्ली—110016, पेज—18

6. वहीं, पेज-19